

मुकदमों का विवरण

थंगजाम अरुणकुमार

बी.

युम्बुम एराबोट सिंह और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 4179-4180)
23 अगस्त, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और पामिदिघांतम श्री नरसिम्हा, जे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: यदि निर्वाचन याचिका या 7 को अनुमति देकर खारिज की जा सकती है, आर. 11 एस के गैर-अनुपालन के लिए आवेदन। 83(1)(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951 -धारा 83 (1) (सी)-अनुपालन**, यदि अनिवार्य है:

आयोजित किया गया: एस के परंतुक के तहत एक संबंध बनाने की आवश्यकता। 83(1) (ग) अनिवार्य नहीं है-यदि पर्याप्त अनुपालन है तो यह पर्याप्त है-क्योंकि दोष ठीक किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक शपथ लेने का अवसर दिया जा सकता है-तत्काल मामले में, चुनाव याचिका में एक शपथ और एक सत्यापन भी शामिल था-इसी शपथ में, चुनाव याचिकाकर्ता ने शपथ ली थी कि जिन अनुच्छेदों में उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वे उसकी जानकारी के अनुसार सही हैं-हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में कोई अलग और स्वतंत्र शपथ नहीं थी, लेकिन यू/एस की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। 83(1)(ग)-उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलार्थी द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया। [पैरा 14, 15 और 17]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

टी. एम. जैकब बनाम सी. पौलोस (1999) 4 एस. सी. सी. 274: [1999] 2 एस. सी. आर. 659-अनुसरण किया गया।

जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार (2013) 4 एससीसी 776: [2013] 4

एस. सी. आर. 1107; ए. मंजू बनाम प्रज्वल रेवन्ना (2022) 3 एस. सी. सी. 269-पर भरोसा किया गया।

392 393

थंगजाम अरुणकुमार बनाम युम्बुम एराबोट सिंह और ओआरएस।

च. सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद और अन्य।

ए. आई. आर. 1964 एससी 1027:[1964] एस. सी. आर. 212; पुखरम शरतचंद्र सिंह बनाम।

मैरेम्बम पृथ्वीराज @पृथ्वीराज सिंह 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन मणि 30; मैरेम्बम पृथ्वीराज @पृथ्वीराज सिंह बनाम पुखरम शरतचंद्र सिंह

(2017) 2 एससीसी 487:[2016] 9 एस. सी. आर. 687; लोक प्रहरी अपने महासचिव बनाम भारत संघ और अन्य के माध्यम से। (2018) 4 एससीसी 699:[2018] 2 एससीआर 892;

पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन (2012) 5 एससीसी 511:[2012] 4 एससीआर

56 - संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 4179-4180।

एम. सी. में इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.04.2023 के निर्णय और आदेश से (एल. पेट।) 2022 की संख्या 67 और 135।

रूप:

देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री राजकुमारी बंजू, डेविड अहोंगसंगबाम, बी. आर. शर्मा, एस. गुणवंता मेइतेई, मोहन सिंह, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, हर्ष पांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

शादान फरासत, सुश्री वारिशा फरासत, अमन नकवी, हर्षित आनंद, सुश्री हृषिका जैन, सुश्री नताशा माहेश्वरी, सुश्री मेरगांका कुकरेजा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. यह अपील मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2023 के निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 2 के आदेश 7 नियम 11 के तहत असफल उम्मीदवार के नेतृत्व में चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने के लिए वापस किए गए उम्मीदवार का आवेदन कि इसमें कमी है।

1 इसके बाद "उच्च न्यायालय"।2 इसके बाद, "सी. पी. सी"।।

[2023] 11 एस सी आर।

सामग्री विवरण और कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। लौटाया गया उम्मीदवार हमारे सामने अपीलार्थी है।

तथ्य:

2. हमारे विचार के लिए आवश्यक संक्षिप्त और सटीक तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी बारहवीं मणिपुर विधान सभा के लिए लौटे उम्मीदवार हैं, जो 15-वांगखेई विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1, असफल उम्मीदवार ने 2022 3 की चुनाव याचिका संख्या 24 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (iv) और 101 के साथ पठित धारा 80, 80 ए, 81, 84 के तहत उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किया। चुनाव याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि अपीलार्थी का चुनाव अमान्य घोषित किया जाए और उसे निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव याचिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जितना कि याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि लौटे उम्मीदवार ने ऋण देने से संबंधित वित्तीय लेनदेन के संबंध में सामग्री विवरण प्रदान नहीं किया है।

3. चुनाव याचिका के जवाब में, अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत और अधिनियम की धारा 86 के तहत दो आवेदन दायर किए, जिसमें इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई कि-(i) अपीलार्थी द्वारा की गई कथित भ्रष्ट प्रथा के संबंध में कार्रवाई के कारण/परीक्षण योग्य मुद्दे का खुलासा न करना; (ii) अधिनियम की धारा 83 के तहत अनिवार्य तथ्यों का संक्षिप्त विवरण न होना; और (iii) अधिनियम की धारा 81 के तहत प्रदान की गई निर्वाचन याचिका की सही स्वप्रमाणित प्रति वापस लौटे उम्मीदवार को न देने के लिए। उपरोक्त के अलावा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता ने इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की भी मांग की कि चुनाव संचालन नियम, 1961 5 के नियम 94 ए की धारा 83 के तहत निर्धारित फॉर्म-25 को चुनाव याचिका के साथ नहीं लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह का शपथ पत्र अनिवार्य है, क्योंकि चुनाव याचिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

4. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि-(i) चुनाव याचिकाकर्ता ने सभी भौतिक तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया था और आगे बताया था

3 इसके बाद, "चुनाव याचिका"। 4 इसके बाद, "अधिनियम"।

5 इसके बाद, "नियम"।

थंगजाम अरुणकुमार बनाम युम्खम एराबॉट सिंह और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 396

अपीलार्थी के सभी कार्यों और चूक का पूरा विवरण, भ्रष्ट व्यवहार का मामला बनाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कार्रवाई और विचारणीय मुद्दों का एक कारण है; (ii) उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 81 (3) का कथित गैर-अनुपालन गलत है क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका को प्रभावी रूप से सत्यापित किया था। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

च. सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद और अन्य। 6, और पुखरम शरतचंद्र सिंह बनाम मैरेम्बम में उसी न्यायालय का निर्णय भी।

पृथ्वीराज @पृथ्वीराज सिंह 7, बाद में इस अदालत द्वारा बरकरार रखा गया।

मैरेम्बम पृथ्वीराज @पृथ्वीराज सिंह बनाम पुखरम शरतचंद्र सिंह 8.

उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका को "मूल की वास्तविक प्रति" के रूप में प्रमाणित किया और "याचिका की वास्तविक प्रति" के रूप में नहीं, लेकिन यह अधिनियम की धारा 81 (3) के अनुपालन में है।

5. यह निवेदन कि भ्रष्ट आचरण के आरोपों से जुड़े सभी मामलों में, चुनाव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 83 (1) के तहत अनिवार्य रूप से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बिना अधिक चर्चा के खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने लोक प्रहरी में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए

इसके महासचिव बनाम भारत संघ और अन्य। 9, याचिका को खारिज कर दिया।

प्रस्तुतियाँ:

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत ने शुरू में पहले दो आधारों पर तर्क दिया, अर्थात् कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया है और यह भी कि चुनाव याचिका के सत्यापन के संबंध में अधिनियम की धारा 81 (3) के तहत आवश्यकता का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। हालाँकि, जैसा कि हमने उन आधारों पर हस्तक्षेप करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की, उन्होंने वैकल्पिक बिंदु को उठाया और जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है क्योंकि चुनाव याचिका ने अधिनियम की 83 (1) (सी) की 'अनिवार्य' आवश्यकता का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव याचिका को विफल होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप के समर्थन में अतिरिक्त आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने हमें धारा के माध्यम से ले जाकर इस बिंदु को विस्तार से बताया, और विशेष रूप से, उस परंतुक के लिए जिसकी आवश्यकता होती है कि भ्रष्ट व्यवहार के मामलों में, "याचिका में कहा गया है।

उनके साथ एक शपथपत्र भी होगा।

6 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1027

7 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन मणि 30 8 (2017) 2 एस. सी. सी. 487

9 (2018) 4 एससीसी 699

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

7. श्री देवदत्त कामत के इस विशेष निवेदन पर कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली चुनाव याचिका कैसे विफल हो जानी चाहिए, चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शादान फरासत ने कहा कि इस तरह का कोई अतिरिक्त मामला दर्ज नहीं किया गया है। श्री फरासत ने हालांकि लिखित निवेदन में अपने मामले को मजबूत किया।

जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार 10 और ए. में इस न्यायालय के निर्णय।

मंजू बनाम प्रज्वल रेवन्ना 11, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि फॉर्म-25 एफ्री दावित की गैर-फि लिंग एक उपचार योग्य दोष है।

विचार के लिए विषय:

8. विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) का पालन न करने के लिए आदेश 7 नियम 11 आवेदन को अनुमति देकर चुनाव याचिका खारिज की जा सकती है।

विक्षेपण:

9. हम शुरुआत में ही कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया गया है। न तो अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) के निहितार्थ और न ही इसके परंतुक की व्याख्या को उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था। इसके अलावा, आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने केवल लोक प्रहरी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और निवेदन को खारिज कर दिया। लोक प्रहरी (ऊपर) का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है।

10. हम अपीलार्थी द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैधानिक प्रावधानों और निर्णयों का उल्लेख करेंगे। हम सबसे पहले अधिनियम की धारा 83 और 86 और सी. पी. सी. के आदेश 6 नियम 15 का उल्लेख करेंगे।

“83. याचिका की सामग्री-(1) एक चुनाव याचिका -

(क) इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देगा, जिसमें ऐसी भ्रष्ट प्रथा करने के लिए कथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा बयान और ऐसी प्रत्येक प्रथा के आयोग की तारीख और स्थान शामिल हैं; और

10 (2013) 4 एससीसी 776 11 (2022) 3 एससीसी 269 397

थंगजाम अरुणकुमार बनाम युम्खम एराबॉट सिंह और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 398 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापन किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, वहां याचिका के साथ इस तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी होगा।

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान ही सत्यापन किया जाएगा।

86. चुनाव याचिकाओं का विचारण-(1) उच्च न्यायालय एक ऐसी चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है।

आदेश 6 नियम 15:अभिवचनों का सत्यापन-(1) अन्यथा बचाएँ

तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उपबंधित, प्रत्येक अभिवचन का पक्षकार द्वारा या अभिवचन करने वाले पक्षकारों में से किसी एक द्वारा या मामले के तथ्यों से परिचित होने के लिए न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

(2) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के क्रमांकित अनुच्छेदों के संदर्भ में निर्दिष्ट करेगा कि वह अपने ज्ञान के बारे में क्या सत्यापित करता है और प्राप्त और सत्य मानी जाने वाली जानकारी पर क्या सत्यापित करता है।(3) सत्यापन पत्र पर इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें उस तारीख और स्थान का उल्लेख होगा जिस पर उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(4) अभिवचन का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपनी अभिवचनों के समर्थन में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा।”

11. इस मुद्दे पर पहला निर्णय टी. एम. जैकब बनाम सी. पॉलोस 12 में एक संविधान पीठ द्वारा लिया गया है। उक्त मामले में, लौटा हुआ उम्मीदवार अधिनियम की धारा 81 (3) के तहत आवश्यकताओं का पालन न करने के आधार पर अपने खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका का बचाव कर रहा था। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 81 और 83 के विधायी इरादे में अंतर को देखने के बाद कहा कि पूर्व की आवश्यकताओं का पालन न करने पर अधिनियम की धारा 86 के तहत एक चुनाव याचिका को स्वचालित रूप से खारिज करने का प्रावधान है, और उत्तरार्द्ध का पालन न करना एक उपचार योग्य दोष है और यह सीमा पर बर्खास्तगी के योग्य नहीं होगा। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि:

12 (1999) 4 एस. सी. 274

“38. ... हमारे विचार से, विधायी इरादा बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि यह उल्लंघन को दो वर्गों में विभाजित करता है-वे उल्लंघन जो अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत चुनाव याचिका को खारिज करते हैं जैसे कि धारा 81 (3) का पालन न करना और वे उल्लंघन जो अधिनियम की धारा 83 (1) को आकर्षित करते हैं, यानी धारा 83 के प्रावधानों का पालन न करना। यह केवल अधिनियम की धारा 81 का उल्लंघन है जो पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत के अनुप्रयोग को आकर्षित कर सकता है जैसा कि मुरारका राधे श्याम, (1964) 3 एससीआर 573 और च। सुब्बाराव, (1964) 6 एस. सी. आर. 212 मामले। दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 83 में प्रदान किए गए प्रकार के दोष को सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित सिद्धांतों पर उपचार के सिद्धांत के तहत निपटाया जा सकता है।”

12. सिद्धेश्वर (ऊपर) में, मामला एक संदर्भ के माध्यम से इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया। जब मामला दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था, तो पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन 13 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया था कि एक चुनाव याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार के आरोप के समर्थन में फॉर्म-25 एफ़. आई. डेविट दाखिल करना होगा, सामान्य सत्यापन एफ़. आई. डेविट के अलावा जो चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग है। दूसरी ओर, दो-न्यायाधीशों की पीठ को इसके विपरीत दिए गए फैसलों से भी अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया था कि एफ़ी दावित की फ़िंग नहीं करना एक ठीक करने योग्य दोष है। इस मुद्दे को शांत करने के लिए, मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। विभिन्न उदाहरणों पर भरोसा करने के बाद, सिद्धेश्वर में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“1. हमारे विचार के लिए उठाए गए कानून का प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या एक चुनाव याचिकाकर्ता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) के परंतुक द्वारा आवश्यक एक शपथ पत्र (ऐसे मामले में जहां लौटे उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट प्रथाओं

का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है) के अलावा चुनाव याचिका में किए गए कथनों के समर्थन में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 15 (4) के संदर्भ में एक याचिका दायर करना अनिवार्य है। हमारी राय में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ऐसा कोई आदेश नहीं है और पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन, (2012) 5 एस. सी. सी. 511 का पठन, जो इसके विपरीत सुझाव देता है, इस सीमित सीमा तक सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

13 (2012) 5 एससीसी 511 399

थंगजाम अरुणकुमार बनाम युम्बम एराबॉट सिंह और ओआरएस। [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] 400 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

2. एक अन्य प्रश्न जो उत्पन्न हुआ है वह यह है कि यदि एक प्रत्यावर्तित उम्मीदवार की भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों के समर्थन में एक एफ़ी दावित फ़ाई चुनाव संचालन नियम, 1961 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रपत्र 25 में नहीं है, तो क्या चुनाव याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज किया जा सकता है। हमारी राय में, जब तक वैधानिक प्रपत्र का पर्याप्त अनुपालन है, इस आधार पर चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, चुनाव याचिकाकर्ता को दोष को ठीक करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल इसलिए कि हलफनामा दोषपूर्ण हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिका एक चुनाव याचिका नहीं है जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा समझा गया है।

22. नियम 15 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि शिकायत का सत्यापन आवश्यक है। सत्यापन के अलावा, शिकायत का सत्यापन करने वाले व्यक्ति को दलीलों के समर्थन में एक हलफनामा दायर करने की भी आवश्यकता होती है। क्या इसका मतलब यह है, जैसा कि सिद्धेश्वर के विद्वान अधिवक्ता ने सुझाव दिया था कि प्रसन्ना कुमार को दो गुटों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बाध्य किया गया था-एक भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों के समर्थन में और दूसरा दलीलों के समर्थन में?

23. अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक चुनाव याचिकाकर्ता के लिए केवल यह आवश्यक है कि सत्यापन सी. पी. सी. में निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। उस आदेश 6 नियम 15 के अनुसार एक शपथपत्र "भी" का नेतृत्व करने की आवश्यकता होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक वादपत्र का सत्यापन अधूरा है यदि एक शपथपत्र का नेतृत्व नहीं किया जाता है। एफ़ी दावित, इस संदर्भ में, एक स्वतंत्र दस्तावेज़ है।

25. हमें ऐसा लगता है कि अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) का एक सादा और सरल अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसमें एक अतिरिक्त संबंध की आवश्यकता नहीं पाई जाती है। यद्यपि सी. पी. सी. के आदेश 6 नियम 15 (4) सी. पी. सी. के संदर्भ में सी. पी. सी. के नेतृत्व में किए गए अभिवचनों के समर्थन में "भी" लिंग और एफ़ि डेविट की

आवश्यकता अनिवार्य हो सकती है, एफ़ी डेविट अभिवचनों के सत्यापन का हिस्सा नहीं है- दोनों काफी भिन्न हैं। जबकि अधिनियम में अभिवचनों के सत्यापन की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) की सरल भाषा में चुनाव याचिका में अभिवचनों के समर्थन में एक शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ऐसी आवश्यकता को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जो अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) में मौजूद नहीं है।

37. प्रसन्ना कुमार द्वारा प्रस्तुत एफ़ी डेविट का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से इंगित करता है कि यह एफ़ी डेविट प्रारूप के पूर्ण अनुपालन में नहीं था। हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि एफ़ी डेविट के अवलोकन पर, निस्संदेह निर्धारित प्रारूप का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। यह सही है कि सत्यापन भी दोषपूर्ण था, लेकिन दोष ठीक किया जा सकता है और इसे चुनाव याचिका की स्थिरता के लिए घातक नहीं माना जा सकता है।

38. हाल ही में, पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी, (2012) 7 एस. सी. सी. 788 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक संबंध बनाने में विफलता का मुद्दा विचार के लिए आया। इस अदालत को यही कहना था:

“28. ... एफ़ी दावित का स्वरूप किसी भी तरह से सार का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण और आवश्यकता के केंद्र में यह है कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता ने ऐसे कथन किए हैं जो उसके द्वारा शपथ पर दिए गए हैं, चाहे वे नियमों में निर्धारित किए गए रूप के अलावा किसी अन्य रूप में हों। नियमों द्वारा निर्धारित फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में एफ़ी दावित या एफ़ी दावित की अनुपस्थिति अपने आप में सफल उम्मीदवार के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करती है, जब तक कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एफ़ी लिंग द्वारा अवज्ञा को ठीक किया जाता है, जब ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है।”

हमारे पास अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है। सिद्धेश्वर द्वारा आग्रह किए गए तर्क को खारिज कर दिया जाता है।”

(जोर दिया गया) 13. हाल ही में, ए. मंजू बनाम प्रज्वल रेवन्ना (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने उसी प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक चुनाव याचिका जिसमें भ्रष्ट आचरण का आरोप है, लेकिन फॉर्म 25 में एक एफ़ी डेविट द्वारा समर्थित नहीं है, को सीमा पर खारिज किया जा सकता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी:

“26. हालाँकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहमत नहीं हैं कि फॉर्म 25 जमा नहीं करने से चुनाव याचिका खारिज हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, हमारे विचार में, पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी, (2012) 7 एस. सी. सी. 788 में की गई टिप्पणियों को 401 अंक प्राप्त हुए हैं।

थंगजाम अरुणकुमार बनाम युम्बम एराबॉट सिंह और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 402

जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार, (2013) 4 एस. सी. सी. 776 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की गई प्रतीत होती है। वास्तव में, जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार, (2013) 4 एस. सी. सी. 776, याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान न्यायाधीश द्वारा उद्धृत किया गया है। यदि हम चुनाव याचिका को देखते हैं, तो प्रार्थना खंड के बाद एक सत्यापन होता है। चुनाव याचिका के समर्थन में एक सत्यापन शपथ पत्र भी है। इस प्रकार, वास्तव में यह कहना उचित नहीं होगा कि याचिका के समर्थन में कोई शपथ पत्र नहीं है, हालांकि फॉर्म 25 में नहीं है। यह एक उपचारी दोष था और चुनाव याचिका का परीक्षण करने वाले विद्वान न्यायाधीश को अपीलार्थी को चुनाव याचिका के साथ पहले से मौजूद एफ़. आई. डी. एफ़. आई. के अलावा प्रपत्र 25 में याचिका के समर्थन में एफ़. आई. डी. एफ़. आई. करने का अवसर देना चाहिए था। वास्तव में, विद्वान न्यायाधीश अर्थात् पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी, (2012) 7 एस. सी. सी. 788 के साथ-साथ जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार, (2013) 4 एस. सी. सी. 776 द्वारा निर्दिष्ट सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों पर विचार करने के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सही अनुपात अपीलार्थी को निर्धारित प्रपत्र में इस दोष को ठीक करने की अनुमति देने के लिए था।”

(जोर दिया गया) 14. उपर्युक्त संदर्भित मामलों के लिए कानून की स्थिति स्पष्ट है। धारा 83 (1) (सी) के प्रावधान के तहत एक संबंध बनाने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। यदि पर्याप्त अनुपालन हो तो यह पर्याप्त है। चूंकि दोष ठीक किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जा सकता है।

15. तत्काल मामले में, चुनाव याचिका में एक शपथ पत्र और एक सत्यापन भी था। इसी शपथ में, चुनाव याचिकाकर्ता ने शपथ ली है कि जिन अनुच्छेदों में उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वे उसकी जानकारी के अनुसार सही हैं। यद्यपि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में कोई अलग और स्वतंत्र संबंध नहीं है, अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है।

16. हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि धारा 83 (1) के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(ग) अधिनियम और यह आदेश सिद्धेश्वर (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करता है। यहां तक कि रेवन्ना (ऊपर) में इस न्यायालय का बाद का निर्णय भी उच्च

न्यायालय द्वारा लिए गए अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करता है। 17. ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय है कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं बनाया है। इसलिए, हम एम. सी. (एल.) में उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2023 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2023 के सी. ए. संख्या 4179-4180 को खारिज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पेट।) 2022 का सं. 67 और एम. सी. (एल. पेट।) 2022 का सं. 135।

18. दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे